कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांकः 300 / 14–1 दिनांक, बुलन्दशहर, 1-8- 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषयः– लो0नि0वि0 को अलीगढ–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0–93) के चौडीकरण किये जाने हेतु अलीगढ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी व 250 वृक्षों के पातन बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी व 61 वृक्षों के पातन सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 है0 वन भूमि के गैरवानिकी व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2456/अलीगढ–मुरादाबाद सैक्शन दिनांक 20.05.2016 एवं पत्रांक 117/11 सी दिनांक 21.07.2016

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में कुछ कमियां दर्शायी गयी थी इस कमियों को पूर्ण करने हेतु याचक विभाग को लिखा गया। याचक विभाग द्वारा दर्शायी गयी कमियों का बिन्दुवार विवरण उपलब्ध कराया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

सामान्य/समस्त वन प्रभाग से संबंधित

1– प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–8 के मद संख्या बी–24 में कम्पोनेट में त्रुटिपूर्ण विवरण को सही करा दिया गया है।

2– Benefit cost analysis संलग्न है।

3– पार्ट–2 के कम संख्या–3 में Area to be divert के कालम को भरकर सही कर दिया गया है।

4– क्षतिपूति वृक्षारोपण की दरें विभागीय नार्मस/सीलिंग के अन्तर्गत रखकर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।

5– इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।

6– क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता संलग्न है।

7– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटल शीर्षक एवं लीजेण्ड़ अंकित करा दिया गया है।

8– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है।

9– संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट का मुख्य पृष्ठ सत्यापित कर संलग्न है।

शेष........2

बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित

1-- पार्ट–2 के कम संख्या–5 में Working Plan Prescription का विवरण सही कर दिया गया है।

2– पार्ट–2 के कम संख्या–6 में अंकित विवरण जीमतम पे दव मतवेपवद संदक का विवरण ठीक कर दिया गया है।

3– प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0बी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।

4– प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना ईको–क्लास के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि की गणना संलग्न है।

5– चिन्हित वन स्वरूप भूमि के संबंध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– मार्ग चौडीकरण के उपरान्त दोनो ओर अवशेष संरक्षित वन भूमि पर रिक्त पडे स्थान पर 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित वनीकरण योजना संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– नोड़ल अधिकारी / प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर